रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2018/फाल्गुन 7, 1939
No. 704] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2018/PHALGUNA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 798 (अ).-- अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य गिरिदीह जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में 23⁰55' से 24⁰20' उत्तरी अक्षांश और 86⁰5' से 86⁰13' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य धनबाद के झारखंड जिले में 23⁰50' से 23⁰58' अक्षांश और 86⁰6' से 86⁰15' देशांतर के बीच स्थित है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य क्रमशः 49.33 वर्ग किलोमीटर और 12.82 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और मोटे तौर पर दोनो वन्यजीव अभयारण्यों का आकार अर्द्ध गोलाकार है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 10. 50 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 7.00 किलोमीटर है। इसी प्रकार, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 6.25 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3.75 किलोमीटर है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व की तरफ दोनों अभयारण्यों की 3.75 किलोमीटर लम्बी साझा सीमा है और इसलिए केवल साझा पारिस्थितिकी संवेदी जोन ही व्यवहार्य है।

और, पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्यों में जैवविविधता की प्रचुरता है। दोनों अभयारण्यो में लगभग समान प्रकार की वनस्पति एवं जीवजंतु विद्यमान है। व्यापक पर्वत श्रेणी के कारण पारसनाथ अभयारण्य में तोपचांची अभयारण्य की तुलना में वनस्पति की प्रचुर विविधता विशेषकर जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं। भारतीय वनस्पति सोसायटी के जर्नल 1955, 34 (3): 196-206, में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के जे.जी. श्रीवास्तव ने 39 वृक्षों, 35 झाड़ियों, 28 लियनों और बेलदार झाड़ियों, 3 आर्किड, 4 मिस्टलेटो और 146 वार्षिकों की मौजूदगी सूचित की है। दोनों अभयारण्यों में चीतल, बनैला सूअर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, काला भालू, बंदर, कोतरा, सियार, साही, पैंगोलिन, खरगोश, जंगली बिल्ली आदि, के पर्यावास हैं।

और, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य तेंदुए के आदर्श पर्यावास के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हाल के वर्षों में, दुमका वन से हजारीबाग वन तक प्रवास के दौरान हाथियों के झुंड ने पारसनाथ और तोपचांची अभयारण्यों की साझा सीमा में एक वर्ष में कम-से-कम दो महीनें वास किया है। सरपेंट ईगल, कठफोड़वा, मयूर, किंगफिशर, पैराडाईस फ्लाई कैचर, मोर, कोयल, बी-ईटर, स्वीफट, लैपविंग आदि महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां यहां प्रायः दिखाई पड़ती है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य राजदाहा जलाशय, जिसका नाम " तोपचांची झील" है के लिए भी प्रसिद्ध है। इस झील में विशेषतः दिसंबर एवं जनवरी के महीनों में स्थानीय एवं विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं।

और, इन संरक्षित क्षेत्रों में वन के विविध प्रकार जैसे कि 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले केंद्रीय भारतीय उप-उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन तथा कम ऊंचाई वाले उत्तरी भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र और शुष्क प्रायद्वीप साल वन एवं उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो कि स्तनधारियों, पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, वनस्पति आदि की बड़ी संख्या के लिए उत्कृष्ट पर्यावास हैं। इस संरक्षित क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बांस आधारित पर कुटीर उद्योग के रुप में और तीर्थ यात्रियों के रुप में पर्यटकों के आगमन से आजीविका के साधन मिलते है। पारसनाथ अभयारण्य समृद्ध वन संसाधनों और प्रसिद्ध जैन तीर्थयात्रा के आदर्श संयोजन का प्रतिनिधि है। इस अभयारण्य का एक भाग जैन धर्म का "पवित्रतम स्थल" माना जाता है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में जैन तीर्थ यात्री यहां नियमित रुप से आते हैं। दोनों अभयारण्यों का सौंदर्यात्मक महत्व है और ये वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा के लिए व्यापक दायरा उपलब्ध करातें हैं और इनमें संपन्न पारिस्थितिकी-पर्यटन में मदद करने की काफी क्षमता है।

दोनों अभयारण्य सीतानाला, गंधर्वबनाला, कैरा-झरना एवं पुरीनाला जैसी प्राकृतिक, नदियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र का कार्य करते हैं, जो कि लगभग बारहमासी हैं, जबकि जोकी नाला, गीति नाला, आनेल झरना आदि गर्मी में सूख जाती हैं। इसके अलावा, ये तोपचांची झील के जलग्रहण क्षेत्र के रुप में भी कार्य करते हैं जो कि धनबाद, झरिया एवं कटरा नगर के लिए पेयजल उपलब्ध कराकर उनकी जीवन रेखा के रुप में कार्य करती है। इस संरक्षित क्षेत्रों के वन भूजल का रिचार्ज करने में और मिट्टी के क्षरण को रोक कर नदी में गाद जमाव को रोकने में सहायक हैं।

और, पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य में पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-

(1) गिरिधी और धनबाद जिलों में पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 352.77 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा (दोनों अभयारण्य की साझा सीमा के कारण) शून्य से 5 किलोमीटर तक है।

(2) सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध-I** में दी गयी है;

(3) संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** में दिया गया है;

(4) पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में संलग्न है|

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

i. पर्यावरण;
ii. वन और वन्यजीव;
iii. कृषि और बागवानी;
iv. राजस्व;
v. शहरी विकास;
vi. पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;
vii. ग्रामीण विकास;
viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगरपालिका और शहरी विकास;

x. पंचायती राज, और

xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजना शामिल की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)

के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए

		वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

	ढांचे की व्यवस्था ।	
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रथम निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

i.	आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग	-अध्यक्ष;
ii.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	–सदस्य;
iii.	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
iv.	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	–सदस्य;
v.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
vi.	राज्य सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
vii.	प्रभारी, संरक्षित क्षेत्र	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा0सं0 25/49/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड का मानचित्र

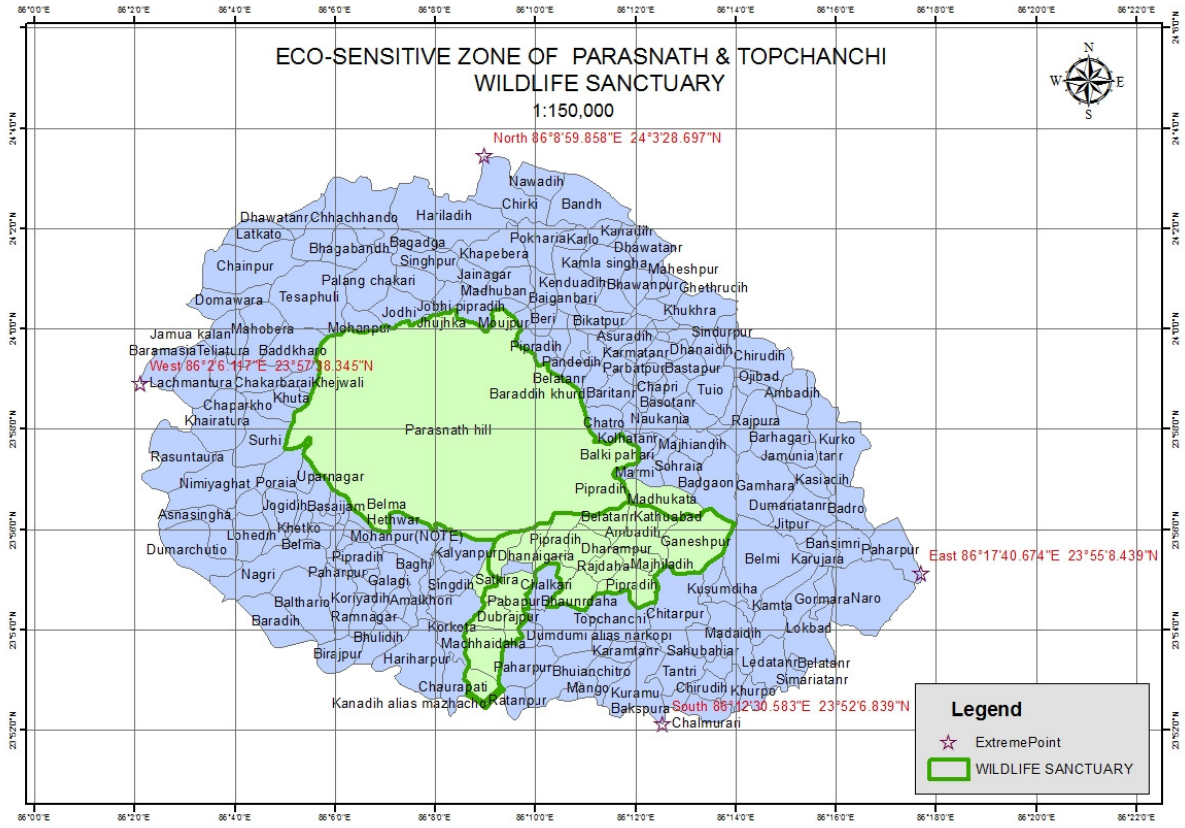

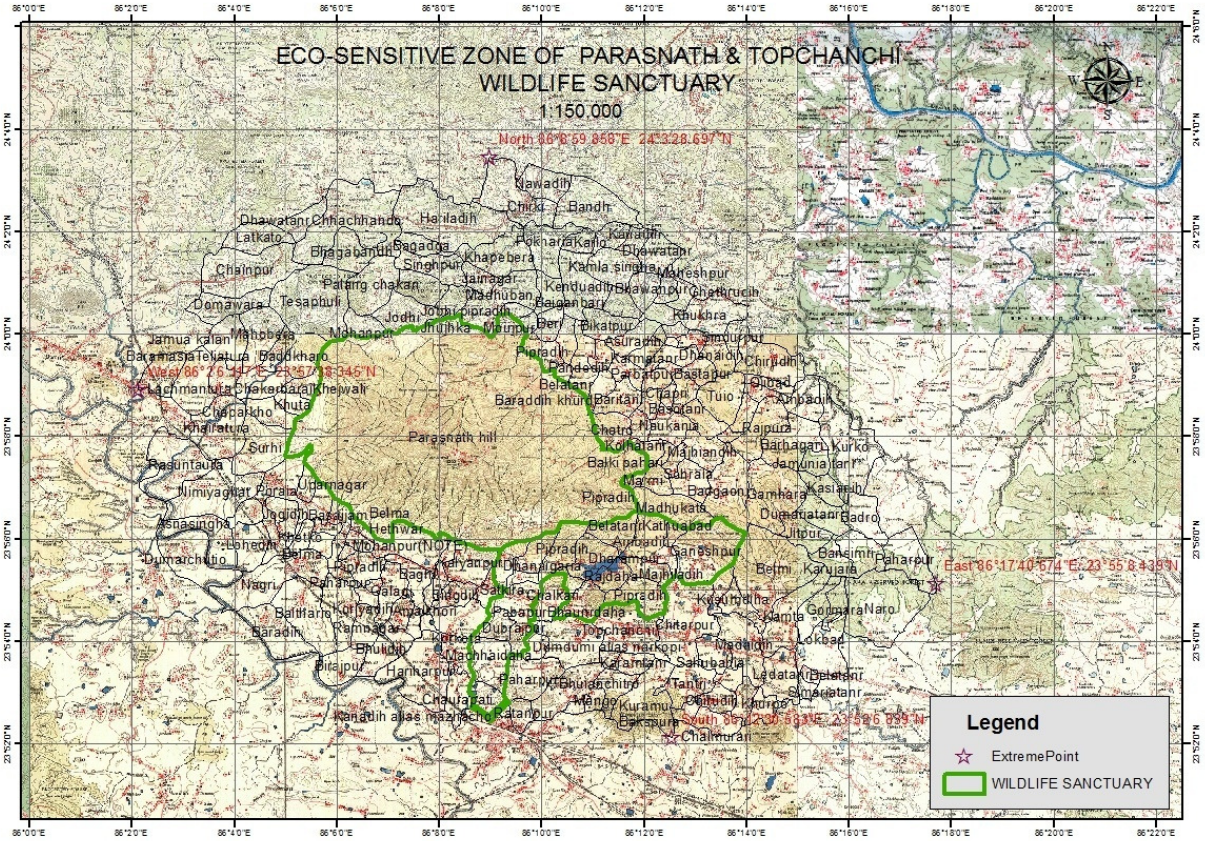

ECO-SENSITIVE ZONE OF PARASNATH & TOPCHANCHI
WILDLIFE SANCTUARY
1:150,000
North 86°8'59.858"E 24°3'28.697"N
West 86°2'6.197"E 23°57'18.345"N
East 86°17'40.674"E 23°55'8.439"N
South 86°12'30.563"E 23°52'6.039"N
Parasnath hill
Legend
ExtremePoint
WILDLIFE SANCTUARY

पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा

उत्तर:- धवातैर, छछन्दो, हरिलादिह, चिरकी और नवादिह का उत्तरी भाग, बंध का उत्तरी और उत्तर-पूर्व भाग और कनादिह राजस्व ग्रामों का उत्तर-पूर्व भाग ।

पूर्व:- धवातैर, महेशपुर, घेतरुदीह, खुखरा, सिन्दुपुर, चिरुदीह, अम्बादिह, कुकोतैर, बदरी और पहाड़पुर का पूर्वी भाग और गोरमरा नारो राजस्व ग्रामों का दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व भाग।

दक्षिण:- लोकबाद का दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व भाग और बेलातैर, सिमरियातैर, खुरपो, चलमुरारी, कुरामु, बकपुरा, भुऐनचितरो, मैंगो, रतनपुर, चौरापति, कनादिह, अलियास मज़हाचो, हरिहरपुर, भुलिदिह और बिराजपुर राजस्व ग्रामों का दक्षिणी भाग।

पश्चिम:- बरादिह का दक्षिणी और पश्चिमी भाग और नगरी, दुमरचुतिओ, आसनसिंघा, निमियाघाट, रसनतौरा, खैरातुरा, लचमनतुरा, बरमासिया, तेरियातैर, जमुआ कलान, दोमवारा, चैनपुर और लटकटो राजस्व ग्रामों का पश्चिमी भाग।

उपाबंध-II

पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड की सीमा के भू-निर्देशांक

पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर चिन्हित भू-निर्देशांक		
बिन्दु	**देशांतर (पू)**	**अक्षांश (उ)**
पी -1	86º6'7"	23º59'54"
पी -2	86º7'48"	24º0'14"
पी -3	86º9'29"	24º0'21"
पी -4	86º10'56"	23º58'32"
पी -5	86º11'42"	23º57'15"
पी -6	86º13'22"	23º56'21"
पी -7	86º12'28"	23º55'9"
पी -8	86º10'52"	23º54'25"
पी -9	86º9'60"	23º55'2"
पी -10	86º9'33"	23º53'44"
पी -11	86º8'38"	23º53'9"
पी -12	86º9'16"	23º55'0"
पी -13	86º7'46"	23º56'9"
पी -14	86º5'44"	23º57'5"
पी -15	86º5'11"	23º58'20"

पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

पारसनाथ -तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर चिन्हित भू-निर्देशांक		
बिन्दु	**देशांतर (पू)**	**अक्षांश (उ)**
पी-1	86º5'47"	24º2'42"
पी-2	86º6'26"	24º2'58"
पी-3	86º7'3"	24º2'49"
पी-4	86º7'40"	24º3'2"
पी-5	86º8'9"	24º2'39"
पी-6	86º8'48"	24º2'40"
पी-7	86º9'9"	24º3'25"
पी-8	86º9'36"	24º3'5"
पी-9	86º10'34"	24º3'7"
पी-10	86º11'5"	24º2'20"
पी-11	86º12'37"	24º1'45"
पी-12	86º12'60"	24º0'51"
पी-13	86º13'58"	24º0'35"
पी-14	86º14'46"	23º59'43"
पी-15	86º15'27"	23º59'11"
पी-16	86º16'1"	23º58'12"
पी-17	86º16'25"	23º57'19"
पी-18	86º16'38"	23º56'9"
पी-19	86º17'31"	23º55'41"
पी-20	86º17'26"	23º54'36"
पी-21	86º16'42"	23º53'53"
पी-22	86º15'49"	23º53'58"

पी-23	86º15'27"	23º53'17"
पी-24	86º14'50"	23º52'50"
पी-25	86º14'11"	23º52'27"
पी-26	86º13'16"	23º52'16"
पी-27	86º12'33"	23º52'7"
पी-28	86º11'42"	23º52'14"
पी-29	86º10'50"	23º52'36"
पी-30	86º6'46"	23º52'24"
पी-31	86º9'1"	23º52'25"
पी-32	86º8'15"	23º52'28"
पी-33	86º7'12"	23º53'4"
पी-34	86º6'12"	23º53'12"
पी-35	86º4'55"	23º53'39"
पी-36	86º3'45"	24º54'35"
पी-37	86º2'40"	23º55'33"
पी-38	86º2'15"	23º56'55"
पी-39	86º2'51"	23º58'3"
पी-40	86º2'19"	23º58'58"
पी-41	86º3'18"	23º59'45"
पी-42	86º3'19"	24º0'43"
पी-43	86º4'18"	24º2'11"

उपाबंध-III

पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	प्रशासन खंड	जीपीएस निर्देशांक	
1	पाबापुर	तोपचांची	उ 23.9094	पू 86.1592
2	मछाईदहा	तोपचांची	उ 23.8934	पू 86.1499
3	दुबराजपुर	तोपचांची	उ 23.9047	पू 86.1521
4	बेलमी	तोपचांची	उ 23.9234	पू 86.2413
5	कल्याणपुर	तोपचांची	उ 23.925	पू 86.1435
6	अमालकुरी	तोपचांची	उ 23.9158	पू 86.1303
7	चिनपुर	तोपचांची	उ 23.9204	पू 86.1602
8	सिंगदिह	तोपचांची	उ 23.915	पू 86.1387
9	कमता	तोपचांची	उ 23.9081	पू 86.2474
10	खानवादिह	तोपचांची	उ 23.9169	पू 86.2249
11	नारो	तोपचांची	उ 23.9116	पू 86.2775
12	बाघी	तोपचांची	उ 23.9197	पू 86.1335
13	गोरमारा	तोपचांची	उ 23.91	पू 86.2556
14	लोकबाद	तोपचांची	उ 23.9005	पू 86.2594
15	चितरपुर	तोपचांची	उ 23.9064	पू 86.2136
16	कुसुमदिहा	तोपचांची	उ 23.9127	पू 86.2298
17	तोपचांची	तोपचांची	उ 23.9035	पू 86.1951
18	फतेहपुर अलियास खानतदिह	तोपचांची	उ 23.9071	पू 86.1399
19	गरगारा	तोपचांची	उ 23.9068	पू 86.2607
20	लखनपुर	तोपचांची	उ 23.9056	पू 86.1294
21	भंगनाथ	तोपचांची	उ 23.8944	पू 86.1884

22	करमतैर	तोपचांची	उ 23.8928	पू 86.1966
23	बेलातैर	तोपचांची	उ 23.8888	पू 86.2541
24	मैंगो	तोपचांची	उ 23.8849	पू 86.1901
25	पिपरातैर	तोपचांची	उ 23.9063	पू 86.2368
26	मैदाईदीह	तोपचांची	उ 23.8986	पू 86.2323
27	दुमदुमी अलियास नारकोपी	तोपचांची	उ 23.9002	पू 86.1764
28	दन्दुभानगथ	तोपचांची	उ 23.8984	पू 86.1647
29	सहुबाहियार	तोपचांची	उ 23.8959	पू 86.2227
30	हरिहरपुर	तोपचांची	उ 23.8897	पू 86.1274
31	कोरकोता	तोपचांची	उ 23.8958	पू 86.1392
32	लेदातैर	तोपचांची	उ 23.8886	पू 86.2448
33	पहारपुर	तोपचांची	उ 23.8883	पू 86.1629
34	कुरामु	तोपचांची	उ 23.8807	पू 86.201
35	कलाजोर	तोपचांची	उ 23.8879	पू 86.2282
36	तंतरी	तोपचांची	उ 23.886	पू 86.2143
37	भुईआनचितरो	तोपचांची	उ 23.8834	पू 86.176
38	चौरापति	तोपचांची	उ 23.8821	पू 86.1396
39	सिमरियातैर	तोपचांची	उ 23.8845	पू 86.2525
40	चिनपुर	तोपचांची	उ 23.8809	पू 86.2327
41	खुरपो	तोपचांची	उ 23.8782	पू 86.2392
42	बक्सपुरा	तोपचांची	उ 23.8769	पू 86.2137
43	चलमुरारी	तोपचांची	उ 23.8736	पू 86.2238
44	चिरुदिह	तोपचांची	उ 23.8809	पू 86.2241
45	रघुनाथपुर	तोपचांची	उ 23.8787	पू 86.1781
46	रतनपुर	तोपचांची	उ 23.8763	पू 86.1599
47	धवातैर	दुमरी	उ 24.0369	पू 86.0893
48	बाघाबंध	दुमरी	उ 24.0264	पू 86.1037

49	सीतलपुर	दुमरी	उ 24.0308	पू 86.111
50	जोभी पिपरादीह	दुमरी	उ 24.0151	पू 86.1274
51	छछन्दो	दुमरी	उ 24.0369	पू 86.1047
52	लटकाटो	दुमरी	उ 24.0312	पू 86.0737
53	चैनपुर	दुमरी	उ 24.0206	पू 86.0709
54	दलन चकरी	दुमरी	उ 24.0157	पू 86.1118
55	तेसाफुली	दुमरी	उ 24.0105	पू 86.0926
56	जोधी	दुमरी	उ 24.0066	पू 86.1224
57	दोमवारा	दुमरी	उ 24.0092	पू 86.0645
58	मोहनपुर	दुमरी	उ 24.0027	पू 86.1085
59	महोबेरा	दुमरी	उ 23.9997	पू 86.0751
60	तेलियातुरा	दुमरी	उ 23.9853	पू 86.063
61	चकरबराई	दुमरी	उ 23.9837	पू 86.0753
62	चपरखो	दुमरी	उ 23.9743	पू 86.0782
63	झुझ्का	दुमरी	उ 24.004	पू 86.1307
64	जमुआ कलान	दुमरी	उ 23.9982	पू 86.0646
65	बद्दखरो	दुमरी	उ 23.9934	पू 86.0864
66	लचमंतुरा	दुमरी	उ 23.9839	पू 86.0538
67	बरमसिया	दुमरी	उ 23.9871	पू 86.0433
68	नाथदीह	दुमरी	उ 23.9898	पू 86.0666
69	खेजवली	दुमरी	उ 23.9832	पू 86.0896
70	खुटा	दुमरी	उ 23.9774	पू 86.0859
71	खैरातुरा	दुमरी	उ 23.9692	पू 86.0621
72	सुरही	दुमरी	उ 23.963	पू 86.0753
73	रसुनतौरा	दुमरी	उ 23.9572	पू 86.0469
74	पोराईया	दुमरी	उ 23.9488	पू 86.0867
75	निमिया घाट (ईसरी बाजार)	दुमरी	उ 23.948	पू 86.0602

76	उपरनगर	दुमरी	उ 23.9507	पू 86.0902
77	करमातुंगरी	दुमरी	उ 23.9414	पू 86.0709
78	खेटको	दुमरी	उ 23.9335	पू 86.0796
79	बेलमा	दुमरी	उ 23.9365	पू 86.108
80	मझीयादीह	दुमरी	उ 23.9369	पू 86.0967
81	लोहेदीह	दुमरी	उ 23.9311	पू 86.0718
82	पानेदीह	दुमरी	उ 23.9317	पू 86.0952
83	पिपरादीह	दुमरी	उ 23.9241	पू 86.1086
84	अमलखोरी	दुमरी	उ 23.9202	पू 86.1251
85	गलगी	दुमरी	उ 23.9163	पू 86.1174
86	पहारपुर	दुमरी	उ 23.9209	पू 86.1024
87	बलथारियो	दुमरी	उ 23.9089	पू 86.0902
88	निचितपुर	दुमरी	उ 23.918	पू 86.1122
89	सहरपुर	दुमरी	उ 23.9056	पू 86.1254
90	मधवादिह	दुमरी	उ 23.9008	पू 86.1198
91	भुलिदीह	दुमरी	उ 23.8949	पू 86.1134
92	बिराजपुर	दुमरी	उ 23.8919	पू 86.1014
93	बसईजैम	दुमरी	उ 23.9408	पू 86.1012
94	जोगीदीह	दुमरी	उ 23.9411	पू 86.0828
95	असनासिंघा	दुमरी	उ 23.9334	पू 86.0577
96	बेलमा	दुमरी	उ 23.9338	पू 86.0889
97	हेथवार	दुमरी	उ 23.9321	पू 86.1072
98	दुमरचुतियो	दुमरी	उ 23.9265	पू 86.0537
99	पैनेदीह	दुमरी	उ 23.9297	पू 86.1
100	नगरी	दुमरी	उ 23.9199	पू 86.0787
101	कोरियादिह	दुमरी	उ 23.9104	पू 86.1012
102	पहारपुर 2	दुमरी	उ 23.9143	पू 86.1099

103	ठाकुरचंद	दुमरी	उ 23.9097	पू 86.1213
104	रामनगर	दुमरी	उ 23.9045	पू 86.1091
105	बैरादिह	दुमरी	उ 23.9028	पू 86.0803
106	चिरकी	पिरतैर	उ 24.0447	पू 86.1576
107	नवादीह	पिरतैर	उ 24.0489	पू 86.1675
108	बंध	पिरतैर	उ 24.0412	पू 86.1831
109	कनादीह अलियास मज़हाच	पिरतैर	उ 24.0317	पू 86.1893
110	बारासिंघा	पिरतैर	उ 24.0304	पू 86.1973
111	करलो	पिरतैर	उ 24.0298	पू 86.1792
112	धावातैर	पिरतैर	उ 24.0258	पू 86.2046
113	पारसनाथ हिल	पिरतैर	उ 24.0177	पू 86.1464
114	बैगनबरी	पिरतैर	उ 24.0134	पू 86.169
115	तेलनचिपा	पिरतैर	उ 24.0076	पू 86.1582
116	हरिलादिह	पिरतैर	उ 24.0374	पू 86.1363
117	पोखरिया	पिरतैर	उ 24.0287	पू 86.1686
118	खपेबेरा	पिरतैर	उ 24.0257	पू 86.1532
119	बगदगा	पिरतैर	उ 24.0288	पू 86.1273
120	सिंघपुर	पिरतैर	उ 24.022	पू 86.1314
121	कमला सिंघा	पिरतैर	उ 24.0217	पू 86.19
122	केनदौदीह	पिरतैर	उ 24.0157	पू 86.1792
123	घेथरुदीह	पिरतैर	उ 24.0134	पू 86.2121
124	महेशपुर	पिरतैर	उ 24.0144	पू 86.2074
125	मधुबन	पिरतैर	उ 24.0108	पू 86.1534
126	भावनपुर	पिरतैर	उ 24.0144	पू 86.2
127	जमुनियाचौन	पिरतैर	उ 24.0096	पू 86.1926
128	जैनागर	पिरतैर	उ 24.0108	पू 86.1382
129	खुखरा	पिरतैर	उ 24.0063	पू 86.2183

130	बेरी	पिरतैर	उ 24.0032	पू 86.1693
131	बिकटपुर	पिरतैर	उ 24.003	पू 86.1878
132	मौजपुर	पिरतैर	उ 24.0035	पू 86.1626
133	भोलातैर	पिरतैर	उ 23.9982	पू 86.175
134	सिंदुरपुर	पिरतैर	उ 23.9987	पू 86.2299
135	दुधीमती	पिरतैर	उ 24.0011	पू 86.2101
136	सुधाबाद	पिरतैर	उ 23.9996	पू 86.2054
137	भागलपुर	पिरतैर	उ 23.998	पू 86.216
138	धनैदीह	पिरतैर	उ 23.993	पू 86.2243
139	बसतापुर	पिरतैर	उ 23.9878	पू 86.2185
140	मझलादीह	पिरतैर	उ 23.989	पू 86.2082
141	बेलातैर	पिरतैर	उ 23.985	पू 86.1801
142	बैरादिह खुर्द	पिरतैर	उ 23.9823	पू 86.1859
143	तुईओ	पिरतैर	उ 23.98	पू 86.208
144	बैरितैर	पिरतैर	उ 23.9785	पू 86.1922
145	सोबरनपुर	पिरतैर	उ 23.9807	पू 86.2386
146	छपरी	पिरतैर	उ 23.9774	पू 86.2022
147	दतेलवा	पिरतैर	उ 23.9738	पू 86.2327
148	बसोतैर	पिरतैर	उ 23.9719	पू 86.2193
149	हरिलादीह	पिरतैर	उ 23.9668	पू 86.2276
150	बलकी पहारी	पिरतैर	उ 23.9621	पू 86.202
151	ओरमातान अन्यथा लतलाहिदी	पिरतैर	उ 23.9614	पू 86.2071
152	जमुनिया तैर	पिरतैर	उ 23.958	पू 86.2559
153	सोहरिया	पिरतैर	उ 23.952	पू 86.2154
154	असुरादीह	पिरतैर	उ 23.9985	पू 86.1966
155	पंदेदीह	पिरतैर	उ 23.9953	पू 86.1801

156	चिरुदिह	पिरतैर	उ 23.9908	पू 86.241
157	पिररादिह	पिरतैर	उ 23.9941	पू 86.1673
158	करमातैर	पिरतैर	उ 23.9972	पू 86.2091
159	नवादीह	पिरतैर	उ 23.9926	पू 86.1862
160	पर्वतपुर	पिरतैर	उ 23.9876	पू 86.1945
161	कोरवातैर	पिरतैर	उ 23.9874	पू 86.1739
162	कैरातैर	पिरतैर	उ 23.9849	पू 86.2041
163	महेशदुबो	पिरतैर	उ 23.9813	पू 86.2129
164	ओजीबाद	पिरतैर	उ 23.9835	पू 86.241
165	अम्बादीह	पिरतैर	उ 23.9786	पू 86.2529
166	कुरको	पिरतैर	उ 23.9631	पू 86.266
167	राजपुरा	पिरतैर	उ 23.9693	पू 86.2383
168	नौकलिया	पिरतैर	उ 23.9698	पू 86.2085
169	कोल्हातैर	पिरतैर	उ 23.9698	पू 86.1986
170	बरहागरी	पिरतैर	उ 23.9645	पू 86.2484
171	चतरो	पिरतैर	उ 23.9686	पू 86.1897
172	मझियांदीह	पिरतैर	उ 23.9621	पू 86.2195
173	बदगांव	पिरतैर	उ 23.9489	पू 86.2278
174	धदकीतैर	पिरतैर	उ 23.9587	पू 86.21
175	गमहारा	पिरतैर	उ 23.9476	पू 86.242
176	मरमी	पिरतैर	उ 23.9521	पू 86.2044
177	कसईयादीह	पिरतैर	उ 23.9498	पू 86.2584
178	पिपरादीह	पिरतैर	उ 23.9522	पू 86.1967
179	दुमरियातैर	पिरतैर	उ 23.9411	पू 86.2582
180	बदरो	पिरतैर	उ 23.9403	पू 86.2716
181	जीतपुर	पिरतैर	उ 23.9351	पू 86.2523
182	पहारपुर	पिरतैर	उ 23.9266	पू 86.2864

183	**बंसीमरी**	**पिरतैर**	**उ** 23.9286	**पू** 86.2707
184	**मधुकटा**	**पिरतैर**	**उ** 23.9433	**पू** 86.2091
185	**करुजारा**	**पिरतैर**	**उ** 23.9266	**पू** 86.2615

शामिल किए गए ग्रामों की सूची:

क्र. सं.	ग्राम का नाम	प्रशासन खंड	जीपीएस निर्देशांक	
1	बेलातैर	तोपचांची	उ 23.9354	पू 86.1909
2	कथुआबाद	तोपचांची	उ 23.935	पू 86.2095
3	धंगरिया	तोपचांची	उ 23.9284	पू 86.1647
4	धरमपुर	तोपचांची	उ 23.9273	पू 86.1829
5	अम्बादिह	तोपचांची	उ 23.9322	पू 86.2025
6	गनेशपुर	तोपचांची	उ 23.9292	पू 86.2203
7	पिपरादीह	तोपचांची	उ 23.9297	पू 86.1734
8	बरतो अन्यथा बारहगोरा	तोपचांची	उ 23.9258	पू 86.1558
9	मझिलादीह	तोपचांची	उ 23.923	पू 86.2016
10	राजदहा	तोपचांची	उ 23.9211	पू 86.1896
11	छोटा कनादीह	तोपचांची	उ 23.9196	पू 86.176
12	सतकिरा	तोपचांची	उ 23.9164	पू 86.1494
13	पिपरादीह	तोपचांची	उ 23.9145	पू 86.1988
14	भावरदहा	तोपचांची	उ 23.9125	पू 86.1803
15	चलकारी	तोपचांची	उ 23.914	पू 86.1697
16	कनादीह अन्यथा मरकचो	तोपचांची	उ 23.881	पू 86.1489
17	पारसनाथ हिल	पिरतैर	उ 23.9662	पू 86.1399

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O. 798(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, Parasnath Wildlife Sanctuary lies between latitudes $23^0$55' to $24^0$20' North and Longitudes $86^0$5' to $86^0$13' East in the south-east part of Giridih District. Topchanchi Wildlife Sanctuary lies between latitudes $23^0$50' to $23^0$58' and Longitudes $86^0$6' to $86^0$15' in Dhanbad district of Jharkhand. Parasnath Wildlife Sanctuary & Topchanchi Wildlife Sanctuary occupies 49.33 sq. km & 12.82 sq. km respectively and both Wild Life Sanctuaries are roughly semi - spherical in shape. The extent of Parasnath Wildlife Sanctuary from East to West is 10. 50 Km & from North to South is 7.00 Km. Similarly the extent of Topchanchi Wildlife Sanctuary from East to West in 6.25 Km & from North to South is 3.75 Km. Both the Sanctuary share common boundary of 3.75 Km. length towards southeastern side of Parasnath Wildlife Sanctuary and so only common eco-sensitive zone is feasible.

AND WHEREAS, the Parasnath & Topchanchi Wild Life Sanctuaries have a Wide range of biodiversity. In both the Sanctuaries almost same kind of flora & fauna exists. Due to extensive mountain range Parasnath Sanctuary is rich in floral varieties, specially herbs in comparison to Topchanchi sanctuary. J.G. Srivastava of National Botanic garden, Lucknow has reported, in the Journal of the Indian Botanical Scciety. 1955, 34 (3): 196-206, the presence of 39 trees, 35 shrubs, 28 lianas and climbing shrubs, 3 orchid, 4 mistletoes and 146 annuals. In both the Sanctuaries the habitats are shared by Cheetal, Wild Boar, Leopards, Hyenas, Black Bear, Monkey, Kotra, Jackal, Porcupine, Pangolins, Hares, wild cat etc.

The Topchanchi Wild Life Sanctuary has been also famous for ideal habitat of Leopards. In recent years, the herd of elephants during migration from Dumka forest to Hazaribag forest, stayes almost two

months on the common boundary of Parasnath and Topchanchi sanctuary during a year. The important birds species, spotted frequently are Serpant Eagle, Wood -pecker, Pea-fowl, King fisher, Paradise fly-catcher, Peacock, Koel, Bee- eater, Swift, Lapwing etc. Topchanchi Wild Life Sanctuary is also famous for Rajdaha reservoir, called " Topchanchi Jheel (lake)". The local & foreign migratory bird visit this Lake specially in month of December & January.

The protected areas are home to diverse type of forest like, central Indian sub-tropical hill forest beyond 1200 meters altitude, northern Indian moist Deciduous forest moist & Dry peninsular Sal forest & northern Dry mixed deciduous forest at lower height and are an excellent habitat for significant population of mammals, birds, insects, flora etc. The PA's supports the local population by providing them with means of livelihood in the form of cottage industry based on bamboo and influx of tourist as pilgrimage. Parasnath sanctuary represent an ideal combination of rich forest resources and a famous Jain Pilgrimage. A part of this sanctuary is considered as the "Sanctum Sanctorum" of the Jain faith. A large numbers of Jain Pilgrims from across the globe regularly visit the place. Both the sanctuary has great aesthetic value and scope for wildlife research and education and has tremendous potential to support thriving eco-tourism.

Both the sanctuaries serves as catchments for natural stream like Sitanala, Gandharbnala, Kaira-jharna & Purinala which are almost perenial while Joki nala, Giti nala Anil jharna etc. dries in summer. Besides it also serves as catchment for Topchanchi Jheel which serves as lifeline for Dhanband, Jharia & Katras township by providing drinking water. The forest of both the protected area intercept rainfall to help recharge ground water aquifer and protect the river streams against silting by checking soil erosion.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of 5 kilometres around the boundary of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary in the State of Jharkhand as the Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**.-(1) The total area of the eco-sensitive zone of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary is 352.77 square kilo meters that falls in Giridih and Dhanbad districts. The extent of Eco-sensitive Zone is zero (due to both the sanctuary share common boundary) to 5 kilometers.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure I;**

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**;

(4) The list of villages within Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,
ii. Forest and Wildlife,
iii. Agriculture and Horticulture,
iv. Revenue,
v. Urban Development,
vi. Tourism including eco-tourism,
vii. Rural Development,
viii. Irrigation and Flood Control,
ix. Municipal and Urban Development,
x. Panchayati Raj, and
xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jharkhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to

		small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco- Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

i. Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribagh- Chairperson;

ii. Representative of State Pollution Control Board- Member;

iii. One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government- Member;

iv. A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand- Member;

v. An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government- Member;

vi. An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government- Member;

vii. In-charge Protected Area- Member Secretary.

Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/49/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries, Jharkhand along with Eco-Sensitive Zone

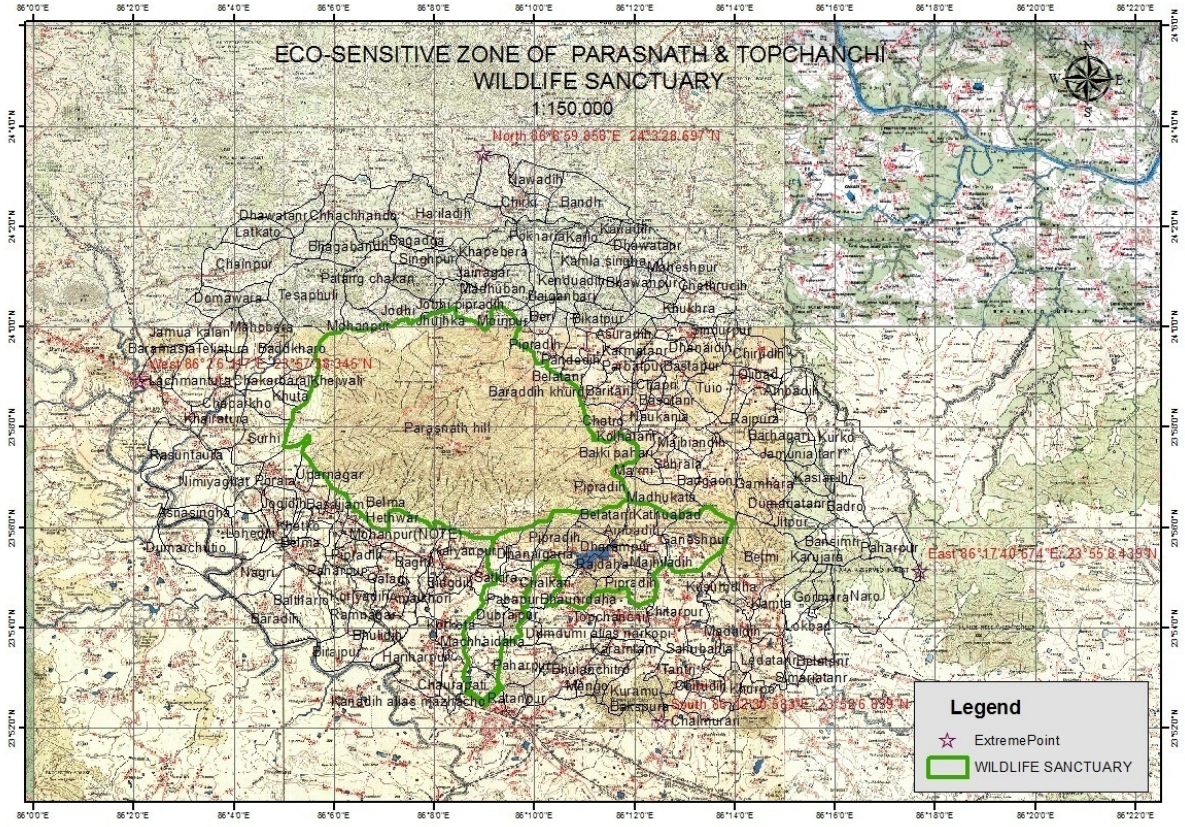

Boundaries of the ESZ around Parasnath & Topchanchi Wildlife Sanctuary

North:- Northen part of *Dhawatanr*, *Chhachhando*, *Hariladih*, *Chirki* and *Nawadih*, Northern and North-East part of *Bandh* and North-East part of *Kanadih* Revenue villages.

East:- Eastern part of *Dhawatanr*, *Maheshpur, Ghetrudih, Khukhra, Sindupur, Chirudih, Ambadih, Kukotanr, Badri* and *Paharpur* and Sothern and South-East part of *Gormara Naro* Revenue Villages.

South:- Sothern and South-East part of Lokbad and Southern part of *Belatanr*, *Simariatanr, Khurpo, Chalmurari, Kuramu, Bakpura, Bhuianchitro, Mango, Ratanpur, Chaurapati, Kanadih alias Mazhacho, Hariharpur, Bhulidih* and *Birajpur* Revenue Villages.

West:- Southern and Western part of *Baradih* and Western part of Nagri, Dumarchutio, Asansingha, Nimiyaghat, Rasantaura, Khairatura, Lachmantura, Barmasia, Teriatanr, Jamua Kalan, Domawara, Chainpur and Latkato Revenue Villages.

Annexure-II

Geo Co-ordinates of boundary of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries, Jharkhand

Geo Co-ordiantes marked on the PA Boundary of Parasnath-Topchanchi Wildlife Sanctuary		
Points	**Longitude (E)**	**Latitude (N)**
P-1	86º6'7"	23º59'54"
P-2	86º7'48"	24º0'14"
P-3	86º9'29"	24º0'21"
P-4	86º10'56"	23º58'32"
P-5	86º11'42"	23º57'15"
P-6	86º13'22"	23º56'21"
P-7	86º12'28"	23º55'9"
P-8	86º10'52"	23º54'25"
P-9	86º9'60"	23º55'2"
P-10	86º9'33"	23º53'44"
P-11	86º8'38"	23º53'9"
P-12	86º9'16"	23º55'0"
P-13	86º7'46"	23º56'9"
P-14	86º5'44"	23º57'5"
P-15	86º5'11"	23º58'20"

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries, Jharkhand

Geo Co-ordiantes marked on the ESZ Boundary of Parasnath-Topchanchi Wildlife Sanctuary		
Points	**Longitude (E)**	**Latitude (N)**
P-1	86°5'47"	24°2'42"
P-2	86°6'26"	24°2'58"
P-3	86°7'3"	24°2'49"
P-4	86°7'40"	24°3'2"
P-5	86°8'9"	24°2'39"
P-6	86°8'48"	24°2'40"
P-7	86°9'9"	24°3'25"
P-8	86°9'36"	24°3'5"
P-9	86°10'34"	24°3'7"
P-10	86°11'5"	24°2'20"
P-11	86°12'37"	24°1'45"
P-12	86°12'60"	24°0'51"
P-13	86°13'58"	24°0'35"
P-14	86°14'46"	23°59'43"
P-15	86°15'27"	23°59'11"
P-16	86°16'1"	23°58'12"
P-17	86°16'25"	23°57'19"
P-18	86°16'38"	23°56'9"
P-19	86°17'31"	23°55'41"
P-20	86°17'26"	23°54'36"
P-21	86°16'42"	23°53'53"
P-22	86°15'49"	23°53'58"
P-23	86°15'27"	23°53'17"
P-24	86°14'50"	23°52'50"
P-25	86°14'11"	23°52'27"
P-26	86°13'16"	23°52'16"
P-27	86°12'33"	23°52'7"
P-28	86°11'42"	23°52'14"
P-29	86°10'50"	23°52'36"
P-30	86°6'46"	23°52'24"
P-31	86°9'1"	23°52'25"
P-32	86°8'15"	23°52'28"

P-33	86º7'12"	23º53'4"
P-34	86º6'12"	23º53'12"
P-35	86º4'55"	23º53'39"
P-36	86º3'45"	24º54'35"
P-37	86º2'40"	23º55'33"
P-38	86º2'15"	23º56'55"
P-39	86º2'51"	23º58'3"
P-40	86º2'19"	23º58'58"
P-41	86º3'18"	23º59'45"
P-42	86º3'19"	24º0'43"
P-43	86º4'18"	24º2'11"

Annexure III

List of villages within the Eco Sensitive Zone of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries

Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS Co- Ordinates	
1	Pabapur	Topchanchi	N 23.9094	E 86.1592
2	Machhaidaha	Topchanchi	N 23.8934	E 86.1499
3	Dubrajpur	Topchanchi	N 23.9047	E 86.1521
4	Belmi	Topchanchi	N 23.9234	E 86.2413
5	Kalyanpur	Topchanchi	N 23.925	E 86.1435
6	Amalkuri	Topchanchi	N 23.9158	E 86.1303
7	Chinpur	Topchanchi	N 23.9204	E 86.1602
8	Singdih	Topchanchi	N 23.915	E 86.1387
9	Kamta	Topchanchi	N 23.9081	E 86.2474
10	Khanwadih	Topchanchi	N 23.9169	E 86.2249
11	Naro	Topchanchi	N 23.9116	E 86.2775
12	Baghi	Topchanchi	N 23.9197	E 86.1335
13	Gormara	Topchanchi	N 23.91	E 86.2556
14	Lokbad	Topchanchi	N 23.9005	E 86.2594
15	Chitarpur	Topchanchi	N 23.9064	E 86.2136
16	Kusumdiha	Topchanchi	N 23.9127	E 86.2298
17	Topchanchi	Topchanchi	N 23.9035	E 86.1951

18	Fatehpur alias Khantdih	Topchanchi	N 23.9071	E 86.1399
19	Gargara	Topchanchi	N 23.9068	E 86.2607
20	Lakhanpur	Topchanchi	N 23.9056	E 86.1294
21	Bhangnath	Topchanchi	N 23.8944	E 86.1884
22	Karamtanr	Topchanchi	N 23.8928	E 86.1966
23	Belatanr	Topchanchi	N 23.8888	E 86.2541
24	Mango	Topchanchi	N 23.8849	E 86.1901
25	Pipratanr	Topchanchi	N 23.9063	E 86.2368
26	Madaidih	Topchanchi	N 23.8986	E 86.2323
27	Dumdumi alias Narkopi	Topchanchi	N 23.9002	E 86.1764
28	Dandubhangath	Topchanchi	N 23.8984	E 86.1647
29	Sahubahiar	Topchanchi	N 23.8959	E 86.2227
30	Hariharpur	Topchanchi	N 23.8897	E 86.1274
31	Korkota	Topchanchi	N 23.8958	E 86.1392
32	Ledatanr	Topchanchi	N 23.8886	E 86.2448
33	Paharpur	Topchanchi	N 23.8883	E 86.1629
34	Kuramu	Topchanchi	N 23.8807	E 86.201
35	Kalajor	Topchanchi	N 23.8879	E 86.2282
36	Tantri	Topchanchi	N 23.886	E 86.2143
37	Bhuianchitro	Topchanchi	N 23.8834	E 86.176
38	Chaurapati	Topchanchi	N 23.8821	E 86.1396
39	Simariatanr	Topchanchi	N 23.8845	E 86.2525
40	Chinpur	Topchanchi	N 23.8809	E 86.2327
41	Khurpo	Topchanchi	N 23.8782	E 86.2392
42	Bakspura	Topchanchi	N 23.8769	E 86.2137
43	Chalmurari	Topchanchi	N 23.8736	E 86.2238
44	Chirudih	Topchanchi	N 23.8809	E 86.2241
45	Raghunathpur	Topchanchi	N 23.8787	E 86.1781
46	Ratanpur	Topchanchi	N 23.8763	E 86.1599
47	Dhawatanr	Dumri	N 24.0369	E 86.0893
48	Bhagabandh	Dumri	N 24.0264	E 86.1037
49	Sitalpur	Dumri	N 24.0308	E 86.111
50	Jobhi Pipradih	Dumri	N 24.0151	E 86.1274
51	Chhachhando	Dumri	N 24.0369	E 86.1047
52	Latkato	Dumri	N 24.0312	E 86.0737
53	Chainpur	Dumri	N 24.0206	E 86.0709
54	Dalan Chakari	Dumri	N 24.0157	E 86.1118

55	Tesaphuli	Dumri	N 24.0105	E 86.0926
56	Jodhi	Dumri	N 24.0066	E 86.1224
57	Domawara	Dumri	N 24.0092	E 86.0645
58	Mohanpur	Dumri	N 24.0027	E 86.1085
59	Mahobera	Dumri	N 23.9997	E 86.0751
60	Teliatura	Dumri	N 23.9853	E 86.063
61	Chakarbarai	Dumri	N 23.9837	E 86.0753
62	Chaparkho	Dumri	N 23.9743	E 86.0782
63	Jhujhka	Dumri	N 24.004	E 86.1307
64	Jamua Kalan	Dumri	N 23.9982	E 86.0646
65	Baddkharo	Dumri	N 23.9934	E 86.0864
66	Lachmantura	Dumri	N 23.9839	E 86.0538
67	Baramasia	Dumri	N 23.9871	E 86.0433
68	Nathdih	Dumri	N 23.9898	E 86.0666
69	Khejwali	Dumri	N 23.9832	E 86.0896
70	Khuta	Dumri	N 23.9774	E 86.0859
71	Khairatura	Dumri	N 23.9692	E 86.0621
72	Surhi	Dumri	N 23.963	E 86.0753
73	Rasuntaura	Dumri	N 23.9572	E 86.0469
74	Poraia	Dumri	N 23.9488	E 86.0867
75	Nimiya Ghat (Isri Bazar)	Dumri	N 23.948	E 86.0602
76	Uparnagar	Dumri	N 23.9507	E 86.0902
77	Karmatungri	Dumri	N 23.9414	E 86.0709
78	Khetko	Dumri	N 23.9335	E 86.0796
79	Belma	Dumri	N 23.9365	E 86.108
80	Majhiyadih	Dumri	N 23.9369	E 86.0967
81	Lohedih	Dumri	N 23.9311	E 86.0718
82	Panedih	Dumri	N 23.9317	E 86.0952
83	Pipradih	Dumri	N 23.9241	E 86.1086
84	Amalkhori	Dumri	N 23.9202	E 86.1251
85	Galagi	Dumri	N 23.9163	E 86.1174
86	Paharpur	Dumri	N 23.9209	E 86.1024
87	Balthario	Dumri	N 23.9089	E 86.0902
88	Nichitpur	Dumri	N 23.918	E 86.1122
89	Saharpur	Dumri	N 23.9056	E 86.1254
90	Madhwadih	Dumri	N 23.9008	E 86.1198
91	Bhulidih	Dumri	N 23.8949	E 86.1134

92	Birajpur	Dumri	N 23.8919	E 86.1014
93	Basaijam	Dumri	N 23.9408	E 86.1012
94	Jogidih	Dumri	N 23.9411	E 86.0828
95	Asnasingha	Dumri	N 23.9334	E 86.0577
96	Belma	Dumri	N 23.9338	E 86.0889
97	Hethwar	Dumri	N 23.9321	E 86.1072
98	Dumarchutio	Dumri	N 23.9265	E 86.0537
99	Panedih	Dumri	N 23.9297	E 86.1
100	Nagri	Dumri	N 23.9199	E 86.0787
101	Koriyadih	Dumri	N 23.9104	E 86.1012
102	Paharpur 2	Dumri	N 23.9143	E 86.1099
103	Thakurchand	Dumri	N 23.9097	E 86.1213
104	Ramnagar	Dumri	N 23.9045	E 86.1091
105	Baradih	Dumri	N 23.9028	E 86.0803
106	Chirki	Pirtanr	N 24.0447	E 86.1576
107	Nawadih	Pirtanr	N 24.0489	E 86.1675
108	Bandh	Pirtanr	N 24.0412	E 86.1831
109	Kanadih alias Mazhach	Pirtanr	N 24.0317	E 86.1893
110	Barasingha	Pirtanr	N 24.0304	E 86.1973
111	Karlo	Pirtanr	N 24.0298	E 86.1792
112	Dhawatanr	Pirtanr	N 24.0258	E 86.2046
113	Parasnath hill	Pirtanr	N 24.0177	E 86.1464
114	Baiganbari	Pirtanr	N 24.0134	E 86.169
115	Telanchipa	Pirtanr	N 24.0076	E 86.1582
116	Hariladih	Pirtanr	N 24.0374	E 86.1363
117	Pokharia	Pirtanr	N 24.0287	E 86.1686
118	Khapebera	Pirtanr	N 24.0257	E 86.1532
119	Bagadga	Pirtanr	N 24.0288	E 86.1273
120	Singhpur	Pirtanr	N 24.022	E 86.1314
121	Kamla Singha	Pirtanr	N 24.0217	E 86.19
122	Kenduadih	Pirtanr	N 24.0157	E 86.1792
123	Ghethrudih	Pirtanr	N 24.0134	E 86.2121
124	Maheshpur	Pirtanr	N 24.0144	E 86.2074
125	Madhuban	Pirtanr	N 24.0108	E 86.1534
126	Bhawanpur	Pirtanr	N 24.0144	E 86.2
127	Jamuniachuan	Pirtanr	N 24.0096	E 86.1926
128	Jainagar	Pirtanr	N 24.0108	E 86.1382

129	Khukhra	Pirtanr	N 24.0063	E 86.2183
130	Beri	Pirtanr	N 24.0032	E 86.1693
131	Bikatpur	Pirtanr	N 24.003	E 86.1878
132	Moujpur	Pirtanr	N 24.0035	E 86.1626
133	Bholatanr	Pirtanr	N 23.9982	E 86.175
134	Sindurpur	Pirtanr	N 23.9987	E 86.2299
135	Dudhimati	Pirtanr	N 24.0011	E 86.2101
136	Sudhabad	Pirtanr	N 23.9996	E 86.2054
137	Bhagalpur	Pirtanr	N 23.998	E 86.216
138	Dhanaidih	Pirtanr	N 23.993	E 86.2243
139	Bastapur	Pirtanr	N 23.9878	E 86.2185
140	Majhladih	Pirtanr	N 23.989	E 86.2082
141	Belatanr	Pirtanr	N 23.985	E 86.1801
142	Baradih Khurd	Pirtanr	N 23.9823	E 86.1859
143	Tuio	Pirtanr	N 23.98	E 86.208
144	Baritanr	Pirtanr	N 23.9785	E 86.1922
145	Sobranpur	Pirtanr	N 23.9807	E 86.2386
146	Chapri	Pirtanr	N 23.9774	E 86.2022
147	Datelwa	Pirtanr	N 23.9738	E 86.2327
148	Basotanr	Pirtanr	N 23.9719	E 86.2193
149	Hariladih	Pirtanr	N 23.9668	E 86.2276
150	Balki Pahari	Pirtanr	N 23.9621	E 86.202
151	Ormatanr alias Latlahidi	Pirtanr	N 23.9614	E 86.2071
152	Jamunia Tanr	Pirtanr	N 23.958	E 86.2559
153	Soharia	Pirtanr	N 23.952	E 86.2154
154	Asuradih	Pirtanr	N 23.9985	E 86.1966
155	Pandedih	Pirtanr	N 23.9953	E 86.1801
156	Chirudih	Pirtanr	N 23.9908	E 86.241
157	Pipradih	Pirtanr	N 23.9941	E 86.1673
158	Karmatanr	Pirtanr	N 23.9972	E 86.2091
159	Nawadih	Pirtanr	N 23.9926	E 86.1862
160	Parbatpur	Pirtanr	N 23.9876	E 86.1945
161	Korwatanr	Pirtanr	N 23.9874	E 86.1739
162	Kairatanr	Pirtanr	N 23.9849	E 86.2041
163	Maheshdubo	Pirtanr	N 23.9813	E 86.2129
164	Ojibad	Pirtanr	N 23.9835	E 86.241
165	Ambadih	Pirtanr	N 23.9786	E 86.2529

166	Kurko	Pirtanr	N 23.9631	E 86.266
167	Rajpura	Pirtanr	N 23.9693	E 86.2383
168	Naukania	Pirtanr	N 23.9698	E 86.2085
169	Kolhatanr	Pirtanr	N 23.9698	E 86.1986
170	Barhagari	Pirtanr	N 23.9645	E 86.2484
171	Chatro	Pirtanr	N 23.9686	E 86.1897
172	Majhiandih	Pirtanr	N 23.9621	E 86.2195
173	Badgaon	Pirtanr	N 23.9489	E 86.2278
174	Dhadkitanr	Pirtanr	N 23.9587	E 86.21
175	Gamhara	Pirtanr	N 23.9476	E 86.242
176	Marmi	Pirtanr	N 23.9521	E 86.2044
177	Kasaiadih	Pirtanr	N 23.9498	E 86.2584
178	Pipradih	Pirtanr	N 23.9522	E 86.1967
179	Dumariatanr	Pirtanr	N 23.9411	E 86.2582
180	Badro	Pirtanr	N 23.9403	E 86.2716
181	Jitpur	Pirtanr	N 23.9351	E 86.2523
182	Paharpur	Pirtanr	N 23.9266	E 86.2864
183	Bansimri	Pirtanr	N 23.9286	E 86.2707
184	Madhukata	Pirtanr	N 23.9433	E 86.2091
185	Karujara	Pirtanr	N 23.9266	E 86.2615

List of Enclaved Villages:

Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS Co- Ordinates	
1	Belatanr	Topchanchi	N 23.9354	E 86.1909
2	Kathuabad	Topchanchi	N 23.935	E 86.2095
3	Dhangaria	Topchanchi	N 23.9284	E 86.1647
4	Dharampur	Topchanchi	N 23.9273	E 86.1829
5	Ambadih	Topchanchi	N 23.9322	E 86.2025
6	Ganeshpur	Topchanchi	N 23.9292	E 86.2203
7	Pipradih	Topchanchi	N 23.9297	E 86.1734
8	Barto alias barahgora	Topchanchi	N 23.9258	E 86.1558
9	Majhiladih	Topchanchi	N 23.923	E 86.2016
10	Rajdaha	Topchanchi	N 23.9211	E 86.1896
11	Chhota Kanadih	Topchanchi	N 23.9196	E 86.176
12	Satkira	Topchanchi	N 23.9164	E 86.1494
13	Pipradih	Topchanchi	N 23.9145	E 86.1988
14	Bhawardaha	Topchanchi	N 23.9125	E 86.1803
15	Chalkari	Topchanchi	N 23.914	E 86.1697
16	Kanadih alias Markacho	Topchanchi	N 23.881	E 86.1489
17	Parasnath hill	Pirtanr	N 23.9662	E 86.1399

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.07 19:16:36 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.